an>

Title: Need to enquire conditions of shelter homes in the country.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : मैडम, मैं अपनी बात बोलती हूं। इसी सदन में बालिका गृह कांड, बलात्कार कांड, जो 37 बच्चियों के साथ हुआ था, उसका मामला उठा था। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि न ही सरकार ने उस पर कोई अच्छा कदम लिया, न प्रशासन ने कोई कदम लिया। इसके कारण जो डिमांड हम लोग सदन में रख रहे थे, आज उसको दिल्ली साकेत में शिफ्ट कर दिया गया।

मैडम, आपने उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। उन बच्चियों के लिए यह पूरा सदन गंभीर हुआ था। मेरी रिक्वेस्ट है कि 13 और जो संस्थाएं थीं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। सी.बी.आई. उनकी जांच क्यों नहीं कर रही है? इसके साथ ही मैं आप से मिली थी। आपने कहा था कि हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें। यह बात निकल रही है, मैंने खुद जाकर शेल्टर्स में देखा है। अन्य शेल्टर्स की बहुत बुरी हालत है। जो क्रायेटेरिया अपनाया गया है, उस क्रायेटेरिया को एन.जी.ओज़. नहीं मानते हैं, न ही प्रशासान और सरकार, जिसकी भी हो, उसको गंभीरता से लागू करने के लिए उनको कहती है।

मैडम, आश्चर्य की बात है कि जो 22 हजार का किराए पर घर लेना है, वे उसमें 10 हजार में कर रहे होते हैं। वे कह रहे थे कि डेढ़ साल से सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। यह विचित्र सी बात है कि एन.जी.ओज़. को डेढ़ साल से हर महीने की पेमेंट नहीं मिलती है। इसके बावजूद वे शेल्टर हाउस चलाने में इंट्रेस्टेड क्यों रहते हैं? मैं आप से रिक्वेस्ट करुंगी कि यह सोलहवीं लोक सभा का अंतिम सेशन है। एक महिला होने के नाते उन बच्चियों की खातिर मैं आपसे और इस पूरे सदन से आग्रह करुंगी कि इस देश के जो तमाम बालिका गृह और बालक गृह हैं, उनकी स्थिति बहुत नाज़ुक है। कई जगहों पर सैक्सुअल हरैसमेंट भी होता है। उनके साथ एक तरह से काम के साथ भी हरैसमेंट होता है। मैडम, प्लीज़ एक टीम बनाई जाए। वह एक ऐसी टीम हो, जो नॉन-पॉलिटिकल हो और वह सारे शेल्टर होम्स की जांच करे। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे वक्त दिया।

माननीय अध्यक्ष :

श्री एम. बी. राजेश,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं

श्रीमती सुप्रिया सुले को श्रीमती रंजीत रंजनद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अब जो बचे हैं, वे सब कल।

...(व्यवधान)